

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA  
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE  
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान  
CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE

सं० ए 22011/42/2006.केहिप्रसं/अ.वि/ 1452


दि: 28.05.18

कार्यालय जापन

विषय:- कार्यालय स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायत समिति का पुनर्गठन ।

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम, 2013 के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग में महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों को सुनने/जाँच समिति का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

- |     |                            |   |       |                  |
|-----|----------------------------|---|-------|------------------|
| (1) | श्रीमती पूनम ओसवाल         | उप निदेशक, हि.शि.यो.  | ---   | अध्यक्ष          |
| (2) | डा. दलजीत कौर,             | सहायक निदेशक, केहिप्रसं   | ---   | सदस्य            |
| (3) | श्री करन सिंह,             | सहायक निदेशक(मु.)हिशियो   | ----  | सदस्य            |
| (4) | श्रीमती कुलजीत कौर बी-406, | यूनेस्को अपार्टमेंट, 55 पटपड़गंज, आई.पी.<br>एक्सटेंशन, दिल्ली.110092. | ..... | सदस्य (एन.जी.ओ.) |

भवदीय,  
  
( राम निवास )  
प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव (प्रशिक्षण), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी.2 बिल्डिंग, नई दिल्ली ।
2. शिकायत समिति के सभी सदस्य ।
3. सभी क्षेत्रीय उप निदेशक/प्रभारी सहायक निदेशक, उपसंस्थान, मुम्बई/कोलकाता/चेन्नै/गुवाहाटी/सिकंदराबाद/बैबलूरु को इस निदेश के साथ कि वे भी अपने कार्यस्थल पर नियमानुसार समिति का पुनर्गठन कर संस्थान को सूचित करें ।
4. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली के सभी अधिकारी/कर्मचारी ।
5. नोटिस बोर्ड ।

भारत सरकार  
Govt. of India

दूरभाष: 22870793  
22874053

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग  
Ministry of Home Affairs, Deptt. of Official Language  
हिन्दी शिक्षण योजना  
Hindi Teaching Scheme

निजाम पैलेस, 18वाँ तल,  
Nizam Palace, 18<sup>th</sup> Floor  
234/4 ए जे सी बोस रोड, कोलकाता-20  
234/4 A J C Bose Road, Kolkata-700020

संख्या: 4/74/2018-उ0नि0(पूर्व)/ 1268

दिनांक- 19.11.2018

19

कार्यालय ज्ञापन

विषय: कार्यालय स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायत समिति का पुनर्गठन ।

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न 'निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष' अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत हिन्दी शिक्षण योजना(पूर्व क्षेत्र/केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण उप संस्थान, कोलकाता, राजभाषा विभाग में महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों को सुनने/जांच हेतु समिति का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

1. श्रीमती मंजु शिरीन	सहायक निदेशक	अध्यक्ष
2. श्री वासुदेव सिंह	उप निदेशक(पूर्व)	सदस्य
3. श्रीमती इंदु पाण्डेय	हिन्दी प्राध्यापक	सदस्य
4. श्री संजय कुमार राय	प्र. श्रे. लि.	सदस्य
5. सुश्री मधुपूर्णा घोष	अधिवक्ता, हाई कोर्ट, कोलकाता	विशेषज्ञ/सदस्य

सम्प्रति कोलकाता एवं पश्चिम बंगाल न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सिविल एवं क्रिमिनल क्षेत्र में वकालत । महिला अधिकारों के आंदोलन में सक्रिय:-(i) घरेलू हिंसा एवं महिला सुरक्षा अधिनियम - 2005 के कार्यान्वयन में सक्रिय भूमिका (ii) [www.abasar.net](http://www.abasar.net) के सहयोग से घरेलू हिंसा संबंधी ऑन लाइन डाटा बेस के स्थानीय भाषा में निर्माण एवं अद्यतनीकरण में सक्रिय । (iii) स्वयं सेवा संस्था "सूतानुटिर संख्या" की संस्थापक सदस्य एवं संयुक्त सचिव ।

भवदीय

(वासुदेव सिंह)  
उप निदेशक (पूर्व)

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।
2. शिकायत समिति के सभी सदस्य ।
3. हिन्दी शिक्षण योजना/ केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण उप संस्थान, कोलकाता के सभी अधिकारी/कर्मचारी ।



भारत सरकार  
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग  
उप निदेशक (पश्चिम) का कार्यालय  
हिंदी शिक्षण योजना  
Government of India  
Ministry of Home Affairs, Department of Official Language,  
OFFICE OF THE DEPUTY DIRECTOR (WEST)  
HINDI TEACHING SCHEME

केंद्रीय सदन. सी विंग. छठी मंजिल,  
सेक्टर-10, सी.बी.डी. बेलापुर,  
नवी मुंबई-400614

Kendriya Sadan, C Wing, 6th floor,  
Sector-10, CBD Belapur,  
Navi Mumbai-400 614

दिनांक-

6 JUL 2018

सेवा में

प्रशासनिक अधिकारी,  
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान,  
नई दिल्ली।

विषय - कार्यालय स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायत समिति का पुनर्गठन संबंधी।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम, 2013 के अंतर्गत के पश्चिम क्षेत्र के हिंदी शिक्षण योजना / केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, राजभाषा विभाग में महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों को सुनने/जांच समिति का पुनर्गठन निम्नानुसार किया गया है।

- |                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| 1. श्रीमती रत्ना गोसावी  | - अध्यक्ष          |
| 2. श्री संजय कुमार       | - सदस्य            |
| 3. कु. मंगला जी. कदम     | - सदस्य            |
| 4. श्रीमती लीना फुलोरिया | - सदस्य (एन.जी.ओ.) |

सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय,

*(Handwritten signature)*  
10/7/18

(डॉ. विश्वनाथ झा)  
उप निदेशक (पश्चिम)

प्रतिलिपि - 1. शिकायत समिति के सभी सदस्य।

2. हिंदी शिक्षण योजना/केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, नवी मुंबई के सभी अधिकारी/कर्मचारी।

*(Handwritten signature)*  
10/7/18

(डॉ. विश्वनाथ झा)  
उप निदेशक (पश्चिम)





भारत सरकार

स्पीट पोस्ट

गृह मंत्रालय : राजभाषा विभाग

उप निदेशक {दक्षिण} का कार्यालय,  
हिन्दी शिक्षण योजना,  
राजाजी भवन,  
चेन्नै -90.  
दिनांक-28.11.2018

सं -1/74/हिशियो/18-19/ 369

कार्यालय आदेश

विषय : कार्यालय स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायत समिति का पुनर्गठन के बाबत ।

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिशोध एवं प्रतिरोष अधिनियम, 2013 के अंतर्गत हिन्दी शिक्षण योजना(दक्षिण), राजभाषा विभाग, चेन्नै में महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों को सुनने/जांच हेतु समिति का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

1. श्रीमती चित्रा कृष्णन,	उप निदेशक प्रभारी	हिशियो	अध्यक्ष
2. डॉ सुनील कुमार लोका,	सहायक निदेशक,	हिशियो	सदस्य
3. श्रीमती जयश्री वेंकटरामन	हिन्दी प्रधायपक	हिशियो	सदस्य
4. श्रीमती आर. राधा ,	कार्यालय अधीक्षक	हिशियो	सदस्य
5. श्री एस. एम. करीम बाशा	प्रवर श्रेणी लिपिक	हिशियो	सदस्य

( चित्रा कृष्णन )  
कृते उपनिदेशक (दक्षिण)

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।
2. शिकायत समिति के सभी सदस्य।
3. सभी हिन्दी प्राध्यापक ,स्थानीय एवं बाहरी केंद्र , तमिल नाडु , तेलंगाना,आंध्र प्रदेश ,केरला ,पुडुचेरी।
4. सभी अधिकारी एवं कर्मचारी, हिन्दी शिक्षण योजना एवं केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नै।

हिन्दी वेबसाइट पर  
3.12

मा. म.

